

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012—अग्रहायण 9, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-780-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर से 7 दिसम्बर 2012 तक, उन्चालीस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 27, 28, 29 अक्टूबर एवं 8, 9 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे., आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा गया है.

(2) उक्त आदेश के पैरा-2 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल का प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के स्थान पर अब श्रीमती एम. गीता, भाप्रसे, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम.गीता, मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम), भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई-5-851-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएस., कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-370-आयएस-लीव-5-एक.—श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 12 से 24 नवम्बर 2012 तक, तेरह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-370-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 12, 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री एम.एम. उपाध्याय, आयएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-400-2012-5-एक.—श्री डी. के. सामंतरे, भाप्रसे (1982), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्ना प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-401-2012-5-एक.—श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना, जिला सागर तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई, जिला सागर (अतिरिक्त प्रभार) को केवल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई, जिला सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

क्र. ई-5-561-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्मारव, आयएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री टी. धर्मारव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, आयएस., आयुक्त बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्मारव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री टी. धर्मारव द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री टी. धर्मारव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्मारव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-674-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री के. के. सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-465-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रेमचंद मीना, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 12 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रेमचंद मीना की अवकाश अवधि में श्री आशीष उपाध्याय, आयएस., आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रेमचंद मीना द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष उपाध्याय, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-830-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएस., कलेक्टर जिला अशोकनगर को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 नवम्बर 2012 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री भास्कर लक्षकार, आयएस. (2010), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंदेरी, जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भास्कर लक्षकार कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-564-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएस., आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2012 तक, तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक"।

बीज एवं फार्म विकास निगम नामनिर्दिष्ट किया गया था, इस संबंध में दिनांक 01 नवम्बर, 2012 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना निरस्त करते हुए, श्री कमलेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के कार्यकाल में आगामी दो वर्ष के लिए वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-5-12-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती नीता श्रीवास्तव	देवास

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. बी-15-1-2004-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 8 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर 2010 द्वारा श्री कमलेश्वर सिंह, रीवा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि हेतु उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. एफ-16-49-2012-सात-2 ए-यथा संशोधन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2012 की तीसरी पंक्ति में उल्लेखित "जिले में अपर कलेक्टर" के स्थान पर "अपर कलेक्टर अनुविभाग बैहर, जिला बालाघाट" पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1(ए)125-04-ब-2-दो.—सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध एवं अअवि, ग्वालियर को दिनांक 19 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2012 तक, बत्तीस दिवस अर्जित अवकाश, 17, 18 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. हरि सिंह यादव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध एवं अअवि, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध एवं अअवि, ग्वालियर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1(ए)190-91-ब-2-दो.—श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दोहा 'कतर' जाने की निजी विदेश यात्रा के लिये दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2012 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 25 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कण्डिका 2 में उल्लेखित अधिकारी, अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जायेंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58 अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462 011

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ-02-02-2010-एक-1655.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप शुक्ला, अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लेखाधिकारी के पद पर वेतन बैंड+ग्रेड पे 15,600—39,100+5,400 में पदोन्नत किया जाता है।

2. आयोग में लेखाधिकारी का पद एकांकी पद है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलयित कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विराचाधीन है।

अतः, उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधधीन रहेगी।

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

(मान. राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग,
भोपाल।

कार्यालय, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि
विश्वविद्यालय, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1-1-12-रा. स.-यू.ए. 1-1769.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्र. 12 सन् 1963) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, डॉ. विजय सिंह तोमर, निवासी डी-22 माल रोड, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश को एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलाधिपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 10 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-12-13-341.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु श्री दुर्गा खण्डसारी (शुगर) मिल्स, मेन्द्राना पोस्ट, कानसुल, पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	बड़वानी/पानसेमल	फैक्ट्री गेट	27	876.6
		योग . .	27	876.6

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

SHREE DURGA KHANDSARI SUGAR MILLS,
MENDRANA
Tah. Pansemal Dist. Barwani M. P. Pin 451770
Year 2012-13

Village Name & Sugarcane Area under Pansemal Tahasil
Sugarcane Area

S. No.	Name of Village	Cane Purchase center	Sugarcane Acer	Sugar cane Hector
1	Gongwada	Factory Gate	76	30.4
2	Dondwada	Factory Gate	12	4.8
3	Jatpura	Factory Gate	2.5	1
4	Bandhara	Factory Gate	15	6
5	Jalgone	Factory Gate	102.5	41
6	Jahoor	Factory Gate	29.5	11.8
7	Khadki	Factory Gate	11	4.4
8	Pansemal	Factory Gate	32.5	13
9	Bhamrata	Factory Gate	49	19.6
10	Mendrana	Factory Gate	112.5	45
11	Aamda	Factory Gate	141	56.4
12	Kansul	Factory Gate	78.5	31.4
13	Melan	Factory Gate	89	35.6
14	Piprani	Factory Gate	15	6
15	Junapani	Factory Gate	184.5	73.8
16	Gorikheda	Factory Gate	9.5	3.8
17	Chunabhatti	Factory Gate	6	2.4
18	Temla	Factory Gate	30	12
19	Temli	Factory Gate	16	6.4
20	Bhargone	Factory Gate	154.5	61.8
21	Bhatki	Factory Gate	139.5	55.8
22	Malfa	Factory Gate	19	7.6
23	Mortalai	Factory Gate	68	27.2
24	Behdiya	Factory Gate	231	92.4
25	Bandriyavad	Factory Gate	10	4
26	Nisarpur	Factory Gate	116.5	46.6
27	Khatia	Factory Gate	441	176.4
Total . .			2191.5	876.6

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्र.-भू-अर्जन-01(अ-82)2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मुढियाकला प.ह.नं. 16	555 में से	0.189	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.	शाहपुर-बालपुर-रामगढ़ मार्ग में नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 7835-10-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	कोतमा	आमाड़ाड़ कुहका निमहा	2.437	महाप्रबंधक, एसईसीएल, जमुना-कोतमा क्षेत्र.	कोयला उत्खनन कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2012-8846.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	नागदा	पाडल्याकला	6.839	भू-अर्जन अधिकारी तहसील नागदा.	कृषि उपजमंडी समिति नागदा के प्रांगण विस्तार हेतु ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा.569-प्र.क्र.5-अ-82-2012-13-5400.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	बरगवां सिधली जमुडी ढोलकू बलबहरा	36.137 15.991 87.285 4.020 2.401	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	बरगवां-18 जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. भू.अ.अ.-तेंदूखेड़ा-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम		(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	1. बड़ेरा 2. भजिया	2.17 0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म.प्र.)	बड़ेरा जलाशय डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.
		योग . .	2.48		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू.अ.अ.-तेंदूखेड़ा-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	1. विजयसागर	17.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म.प्र.)	भिन्नौनी जलाशय डूब क्षेत्र स्पिल चैनल एवं नहर हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर दिनांक 14 नवम्बर 2012

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 6-अ-82-2011-12-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	लालबागमाल	0.960	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सम्भाग, बुरहानपुर	सिन्धीबस्ती मोहम्मदपुरा रेणुका मन्दिर तक सड़क निर्माण.
		मोहम्मदपुरा	2.200		
		योग . .	3.160		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. 12098-99-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	पालाबे	1.967	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.	पालाबे तालाब की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		जगन्यापुरा	1.659		
		बांकपुरा	0.348		
		योग . .	3.974		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-01-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	खरौआ	1.66	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2, ग्वालियर (म. प्र.)	हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-02-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	रामपुरा	7.04	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2, ग्वालियर (म. प्र.)	हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-03-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	डिरमन	0.79	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2, ग्वालियर (म. प्र.)	हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-04-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	कमलापुर	1.61	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2, ग्वालियर (म. प्र.)	हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-05-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	आलोरी	0.27	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2, ग्वालियर (म. प्र.)	हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-06-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	पिपरसाना	6.74	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2, ग्वालियर (म. प्र.)	हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 295-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिहरा	कृषक भूमि कुल 1.005	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.)	बनकुइयां फीडर कैनाल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनकुइयां फीडर कैनाल का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सतना	0.730	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	एनटीपीसी द्वारा 6×660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बसारी	1.590	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	एनटीपीसी द्वारा 6×660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बरेठी	19.786	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	एनटीपीसी द्वारा 6×660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सांदनी	2.604	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	एनटीपीसी द्वारा 6×660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	160/3	0.11
	177/2	1.20
बुरहानपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2012	189/1	0.20
	189/2	0.19
रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस	189/3	0.50
बात का समाधान हो गया है, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	189/4	0.04
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	189/5	0.07
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	167/1	3.58
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह	167/2	0.80
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	167/3	0.40
आवश्यकता है :—	169/2	0.20
	172/1	0.73
अनुसूची	172/2	0.92
(1) भूमि का वर्णन—	175/2	0.29
(क) जिला—बुरहानपुर	172/3	0.60
(ख) तहसील—खकनार	175/3	0.60
(ग) ग्राम—नागझिरी, नांदूराकला	175/1	0.85
(घ) क्षेत्रफल लगभग—75.90 हेक्टर.	171	0.25
	173	0.80
खसरा रकबा	176	0.10
नम्बर (हे. में)	182	1.72
(1) (2)	192	1.80
ग्राम—नागझिरी	183	1.34
54/2 0.08	186	0.50
55 0.32	194/1	0.32
57 0.20	162/1	0.15
129 4.20	162/2	0.80
130/1 1.86	162/3	1.11
130/2 1.20	162/4	0.90
153 0.12	194/2	0.20
154 0.22	164/1	1.70
161 0.23	164/2	0.60
180 0.02	165/2	0.60
163 1.57	165/1	1.14
179/1 2.00	177/1	1.62
166/1 1.26	177/3	0.80
166/2 1.60	177/4	0.80
168 0.50		
160/2 0.05		
181/3 2.11		

(1)	(2)	(1)	(2)
177/5	0.80	51/1	0.04
179/2	1.80	51/2	0.04
181/1	2.11	50/8	0.08
181/2	1.60	50/3	0.02
181/4	0.52	50/2	0.02
175/4	0.80	50/9	0.02
160/4	0.20	50/6	0.02
184/2	1.00	41/2	0.05
184/3	0.80	41/3	0.05
185	3.70	50/10	0.02
184/1	1.78	42	0.08
168	0.06	41/1	0.04
54/2	0.04	40/3	0.07
54/3	0.09	40/2	0.05
54/4	0.03	40/1	0.19
50	0.06	32	0.03
53/1	0.10	23/2	0.02
53/2	0.02	23/3	0.02
53/3	0.02	23/1	0.02
योग . . .	61.60	24/2	0.01
		24/1	0.04
ग्राम—नांदूरकला		24/3	0.01
210	0.80	25/2	0.04
208/2	1.00	25/1	0.01
208/3	1.00	21	0.04
208/4	1.00	20	0.02
208/5	1.58	19	0.05
208/1	1.30	18/1	0.05
206/2	2.00	16/1	0.10
206/1	1.30	15	0.01
207/1	1.35	95	0.05
207/2	0.60	योग . . .	14.30
207/3	0.30	कुल योग . . .	75.90
207/4	0.40		
71/2	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नांदुराकला तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य का भू-अर्जन.	
71/1	0.08	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
60/1	0.08		
61/1	0.02		
63/1	0.03		
65	0.06		
66	0.05		

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	(1)	(2)
	183/1	0.95
	180/2	3.24
	183/2	0.76
	180/3	4.00
	181	0.04
अनुसूची	187/1	1.00
(1) भूमि का वर्णन—	187/2	0.70
(क) जिला—बुरहानपुर	187/3	1.00
(ख) तहसील—खकनार	187/4	1.00
(ग) ग्राम—नांदुराकला, नांदुराखुर्द, नायर	190/1	1.50
(घ) क्षेत्रफल लगभग—112.728 हेक्टर.	190/2	0.32
	195	1.20
खसरा	196/1	0.41
नम्बर	196/2	0.90
(1)	196/3	0.30
ग्राम—नांदुराकला	197	1.80
241	184/1	0.56
168	184/2	1.20
169	185/1	2.12
177	185/4	0.18
174	185/7	0.05
178	185/2	0.40
179	185/3	1.02
159/1	185/5	1.20
159/4	185/6	0.98
141/2	185/8	2.00
141/1	186/1	4.09
142	186/2	4.08
140/1	222/1	1.81
140/2	222/2	0.70
140/3	222/4	0.40
139/1	222/3	0.80
139/2	221	1.25
139/3	220	0.60
139/4	282/2	0.16
138/1	279	0.16
138/2	228/2	0.80
180/1		

(1)	(2)	(1)	(2)
274/6	0.04	272	0.10
280/1	1.00	133	0.70
280/2	0.78	130	0.10
274/1	0.40	177	0.24
274/4	0.50	161/1	0.27
274/2	0.80		योग . . 105.54
274/3	0.80		ग्राम—नांदुराखुर्द
228/1	0.79	270/2	0.100
274/5	0.70	270/1	0.170
227/1	0.80	271/4	0.180
227/5	0.40	271/3	0.180
227/7	0.40	271/2	0.100
227/2	0.80	281	0.091
227/3	0.40	280	0.134
227/4	1.60	279/1	0.281
227/6	0.80	278/4	0.017
227/8	1.18	278/3	0.025
223/1	1.60	278/1	0.024
223/2	1.60	279/2	0.105
223/3	1.25	285/2	0.173
224	1.79	285/1	0.240
238	0.04	284/2	0.040
235	2.40	165/3	0.220
236	1.02	166	0.180
225	0.10	167	0.304
237/2	0.60	153/2	0.144
239	0.49	152/3	0.089
240	2.17	150/1	0.086
171	0.46	132/3	0.048
242/2	0.10	132/2	0.048
172	1.45	132/1	0.046
173/1	1.20	133	0.132
176/1	0.48	268/3	0.188
173/2	2.00	267/2	0.148
173/3	0.68	267/1	0.160
176/2	1.32	266/6	0.019
273/2	0.52	266/1	0.019
273/3	0.30	266/5	0.019
		266/4	0.019
		266/3	0.019

(1)	(2)	(1)	(2)
266/2	0.103	175	0.045
256/2	0.032	130	0.078
257/1	0.056	129	0.047
257/3	0.039	128/1	0.129
257/4	0.047	126/1	0.033
187	0.198	125	0.053
186	0.112	123/1	0.025
79	0.021	123/2	0.016
78/2	0.033	123/3	0.031
78/5	0.022	122	0.067
78/6	0.033	121	0.070
78/7	0.017	120	0.056
77	0.078	81/1	0.039
76	0.059	81/2	0.039
75	0.140	81/3	0.039
34/2	0.047	80/1	0.031
34/1	0.067	80/2	0.042
35/3	0.031	79	0.126
35/2	0.084		योग . . 1.047
38/2	0.084		कुल योग . . 112.728
110	0.030		
40/5	0.017	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—नांदुराखुर्द तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
40/4	0.061	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
40/3	0.017		
40/2	0.070		
40/1	0.070		
43/2	0.073		
43/1	0.028		
128/2	0.112		
128/3	0.226		
128/1	0.054		
126	0.128		
109	0.012		
111	0.064		
98	0.128		
	योग . . 6.141		

ग्राम—नायर

178	0.007
177	0.036
176	0.038

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—खकनार

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(ग) ग्राम—घनश्यामपुरा, सीतापुर		(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल लगभग—22.73 हेक्टर.		422	0.04
खसरा	रकबा	426	0.01
नम्बर	(हे. में)	401	0.41
(1)	(2)	404	0.13
ग्राम—घनश्यामपुरा		407	1.27
376/1	1.15	366	0.39
379	0.45	367/2	0.05
381/1	0.87	365	0.52
381/4	0.05	364	0.51
376/2	0.16	363/1	0.26
381/2	0.40	363/3	0.09
375	0.21	214	0.08
382/1	0.37	385/1	0.78
382/2	0.31	368	0.09
384	0.11	370	0.06
402	0.71	211/1	0.13
394	0.80	209	0.05
393	0.50	208	0.05
395	0.52	204	0.08
403	0.85	207	0.06
406	0.58	206/1	0.04
383	0.09	206/2	0.04
396	1.08	197/3	0.06
381/3	1.32	197/2	0.06
385/2	0.80	197/1	0.01
397/1	0.06	197/4	0.04
397//2	0.34	196	0.01
398/2	0.85		
398/1	0.69		योग . . . 19.91
398/3	0.63		
417	0.25		
416/3	0.11	139/1	0.56
419/3	0.10	139/2	0.25
416/2	0.03	139/3	0.27
419/2	0.03	139/4	0.04
415	0.01	141	0.90
416/1	0.06	143	0.11
419/1	0.10	144	0.07

ग्राम—सीतापुर

(1)	(2)	100	0.425
150	0.02	74/1	0.407
151	0.50	76	0.250
153	0.10	109	0.656
	योग . .	77/1ख	0.179
	. . 02.82	80	0.013
	कुल योग . .	81	0.105
	. . 22.73	82/2	0.202
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—घनश्यामपुरा तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.	82/3	0.092
		79/1	0.009
		83	0.024
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	86/2	0.809
		113	0.651
		121	0.932
		86/1क	1.000
		86/1ख	0.202
		89/2	0.091
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	128/4	0.243
		90/2	0.060
		136/5ख	0.240
		92	0.008
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		93	0.077
		138/1ख	0.539
		94	0.283
अनूपपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2012		140/3	0.219
		143/2क	0.086
क्र. 8143-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		96/1	0.384
		143/1	0.017
		96/2	0.384
		96/3	0.385
		97	0.979
		98/1	0.668
		98/2	0.534
		101/1	0.300
(1) भूमि का वर्णन—		99	0.081
(क) जिला—अनूपपुर		103	1.465
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़		110/750	0.009
(ग) ग्राम—बिजौरा, सरवाही		110/2	0.910
(घ) लगभग क्षेत्रफल—29.040, 0.977 हे.		101/2	0.097
		105	0.138
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	106/1	0.029
	(हेक्टेयर में)	112	0.999
(1)	(2)	114	0.224
ग्राम—बिजौरा बांध क्षेत्र		116	0.006
73	0.286	120/6	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
122	0.077	155/6	0.036
110/3	0.405	155/7	0.060
123/2	0.040	155/9क/2	0.065
124	0.551	155/9ख	0.050
125	0.987	163	0.032
126	0.332	164	0.006
127	0.514	165/1	0.060
128/1ग	0.368	166/1क/2	0.054
128/1क	0.609	166/2	0.020
128/1ख	0.610	172	0.016
128/1घ	0.515	552	0.090
134	0.544	553/1	0.027
133	0.003	553/2	0.027
136/1क/1	0.101	553/3	0.027
136/1क/2	0.147	553/4	0.013
136/1ख	0.200	553/5	0.014
136/2ख	0.295	603/1	0.036
137	0.202	603/2	0.210
138/1ग	0.809	606/1	0.110
138/1घ	0.607	606/2	0.080
138/1क	0.141	610/3	0.041
136/3क	0.431	611/1	0.166
138/2ख	0.142	615/2	0.022
138/3ख	0.202	620	0.011
140/1क	0.156	621	0.050
143/2ख	0.262	623/2क	0.013
141	0.285	623/3क	0.072
142	0.189	623/4	0.036
172	0.052	625/3	0.081
173	0.140	194	0.044
111	0.364	196/1	0.029
144	0.213	196/2	0.029
		200/1	0.007
		202/2ख	0.024
	योग . . .	200/3	0.027
	26.218	200/1	0.036
		201/2	0.036
		201/3	0.036
		202/2	0.027
		333/1	0.022
		337	0.084
		338	0.048
		587	0.048
		626/1	0.012
ग्राम—बिजौरा नहर क्षेत्र			
140/3	0.044		
140/2क	0.072		
154/1	0.060		
154/2क	0.094		
154/2ख	0.045		
154/3क	0.100		
154/2क/1	0.239		

(1)	(2)
627	0.127
628/1क	0.007
योग . .	2.822
कुल योग . .	29.040

ग्राम—सरवाही नहर क्षेत्र

111	0.031
116	0.110
119	0.053
120/2	0.042
122/1	0.042
127	0.007
122/2क/1	0.030
122/2क/2	0.123
128	0.089
147	0.154
208	0.064
209/2	0.050
143/455	0.064
105/1	0.048
106/1	0.011
106/3	0.011
107	0.048
योग . .	0.977

अर्जित किया जाने वाला

कुल रकबा-(29.040+0.977)= 30.017 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन— दमेहड़ी जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्परजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. भू-अ 3-ए-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु,

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—रौंझिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.160 हेक्टर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
118	0.350
119	4.470
133	0.820
212	1.000
213	0.890
217	4.090
218	1.540
योग . .	13.160

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा

- (ग) ग्राम—गोराडिंडा
(घ) अर्जनीय रकबा—0.01 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
475/2	0.01	निरंक
योग . . .		0.01

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म.प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)—दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—सहेजला
(घ) अर्जनीय रकबा—0.56 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
201/1	0.34	निरंक
237	0.08	निरंक
513/2	0.02	निरंक
624	0.05	निरंक
630/1	0.04	निरंक
636	0.01	निरंक
637	0.02	निरंक
योग . . .		0.56

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म.प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)—दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 21 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूँ मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—रसूलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.060 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1018/1	0.060
योग . . .	
	0.060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—मढ़देवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.286 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335/1/2/1	0.286
335/1/3ग/2	
335/2/2	
योग . .	0.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—बिजौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.312 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/3	0.312
योग . .	0.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—मुड़ैना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.764 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2, 4/3	0.293
4/5/1/1	0.209
4/5/1/2क एवं 4/5/2/1क	0.262
योग . .	0.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा

- (ग) ग्राम—बगरोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.312 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

270/1 0.312

योग . . 0.312

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 3287-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—बठिया कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.249 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
367/1	0.021
428	0.034
451/1	0.194
योग . .	0.249

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3289-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—महुरछ कंदैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.970 हेक्टर (निजी खाता)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
337	0.088
338	0.030
340	0.120
10	0.216
11	0.030
9	0.030
5	0.252
6	0.204
योग . .	0.970

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के महुरछ माइनर नहर II में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 1390-प्र.क्र. 31-अ 82-2011-2012-संशोधन. — ग्राम गुलाटी के भू-अर्जन प्रकरण में धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 3044, दिनांक 3 अगस्त 2012 को एवं दो समाचार-पत्र "स्वदेश" में 1 अगस्त, 2012 एवं "पीपुल्स समाचार" में 01 अगस्त, 2012 को हो चुका है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 10.007 हेक्टर का प्रकाशन किया गया था.

निम्नलिखित सर्वे नम्बरों के प्रकाशन में त्रुटि होने से संशोधित सर्वे नम्बर प्रकाशित किये जा रहे हैं, शेष प्रविष्टियाँ पूर्व प्रकाशन अनुसार हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—गुलाटी

पूर्व में प्रकाशित सर्वे नम्बर एवं रकबा (हे. में)	संशोधित सर्वे नं. एवं रकबा (हे. में)
(1)	(2)

185/1		185/1	
185/2	0.030	185/2	4 0.030
185/3		185/3	
185/4		185/4	
188/1		188/1	
188/2	0.897	188/2	3 0.897
188/3		188/3	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना, चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 23 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-1138. — चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास
(ग) ग्राम—पोखरबुजुर्ग
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि-भूमि)—1.408 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75/1	0.005
75/2	0.010
75/3	0.030
76/1	0.020
76/2	0.026
77/2	0.008
77/3	0.006
78/1	0.009
78/2	0.002
79/1	0.010
79/2	0.015
80/1	0.032
81/1	0.014
81/2	0.009
81/3	0.004
81/5	0.009
81/6	0.019
81/7	0.021
81/8	0.021
81/9	0.031
82/3	0.038
86/2	0.034
95/1	0.019
95/2	0.012
95/3	0.024
90	0.014
93	0.042
94	0.888
118	0.012
119	0.024
योग	1.408

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण (1) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास, (2) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.